(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में कम्पनी (निगमन) नियम,2014 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है यथा :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को कम्पनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियम,
 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसके बाद मूल नियम कहा जाएगा) में नियम 9 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "9 नाम आरक्षित करना नाम आरक्षित करने के लिए आवेदन वेब सेवा जो www.mca.gov.in पर उपलब्ध है, प्ररूप आरयूएन (यूनीक नाम आरक्षित करना) का प्रयोग करके साथ में कम्पनी (कार्यालय पंजीकरण और शुल्क) नियम, 2014 में दिए गए शुल्क के साथ किया जाएगा, जो रजिस्ट्रार, केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र द्वारा कमियां यदि कोई हो दूर करने के लिए पंद्रह दिनों के भीतर ऐसे आवेदन पुन: प्रस्तुत करने को अनुमत करने के बाद या तो स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा।"
- 3. मूल नियमों के अनुलग्नक में, -

विद्यमान प्ररूप 'रन' के लिए निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(4)और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8 और 9 के अनुसरण में)



आरयूएन आरक्षित विशिष्ट नाम

कंपनी के ब्यौरे

0 नया अन्रोध

0 पुनः प्रस्तुतिकरण

एसआरएन

आरएसयूबी स्थिति के अंतर्गत आने वाला एसआरएन प्रविष्ट करें

पूर्व पूरित

कंपनी का प्रकार

चयन करें, यदि आप निगमित की जाने वाली कंपनी के लिए नाम आरक्षित कर रहे हैं।

सीआईएन

अपना सीआईएन प्रविष्ट करें, केवल यदि आप विद्यमान कंपनी का नाम परिवर्तन हेतु आवेदन कर रहे हैं।

प्रस्तावित नाम 1

अपना प्रस्तावित नाम प्रविष्ट करें

प्रस्तावित नाम 2

प्रस्तावित नाम प्रविष्ट करें

आटो चेक

टिप्पणियां

कृपया प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य और अन्य सुसंगत टिप्पणियों का उल्लेख करना सुनिश्चित करें। कृपया क्षेत्रीय नियामक अनुमोदनों, अनापत्ति प्रमाणपत्र या अन्य कोई अपेक्षित दस्तावेज नीचे यदि लागू हो, को संलग्न करें।

फाइल चुनें

कोई फाइल नहीं चुनी गई

आपके द्वारा नाम सुरक्षित करने का अनुरोध प्रस्तुत करने पर इसकी जांच की जाएगी और व्यवहार्य पाए जाने पर केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा। आप सीआरसी से एक ई-मेल प्राप्त करेंगे जिसमें नाम आरक्षित करने का अनुरोध के परिणाम की सलाह दी गई है।

[फा.सं. 1/13/2013-सी.एल.V,भाग ।,खण्ड ॥]

23/3/18

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i) में संख्या सा.का.िन. 250(अ) दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई और इसमें निम्निलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :-

क्र0सं0	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक
1.	सा.का.नि. 349 (अ)	01.05.2015
2.	सा.का.नि. 442 (अ)	29.05.2015
3.	सा.का.नि. 99 (अ)	22.01.2016
4.	सा.का.िन. 336 (अ)	23.03.2016
5.	सा.का.नि. 743 (अ)	27.07.2016
6.	सा.का.नि. 936 (अ)	01.10.2016
7.	सा.का.नि. 1184 (अ)	29.12.2016
8.	सा.का.नि. 70 (अ)	25.01.2017
9.	सा.का.नि. 955 (अ)	27.07.2017
10.	सा.का.िन. 49 (अ)	20.01.2018

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

- **G.S.R. (E).-** In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -
- Short title and commencement- (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-
- **"9. Reservation of name.-** An application for reservation of name shall be made through the web service available at www.mca.gov.in by using form RUN (Reserve Unique Name) along with fee as provided in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014, which may either be approved or rejected, as the case may be, by the Registrar, Central Registration Centre after allowing re-submission of such application within fifteen days for rectification of the defects, if any."

3. In the annexure to the principal rules, for the Form 'RUN' the following form shall be substituted, namely:-

[Pursuant to section 4(4) of the Companies Act, 2013 and pursuant to rule 8 & 9 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]



RUN

Reserve Unique Name

Company Details	
O New Request	O Resubmission
Enter SRN which is under RSUB status	Pre-fill
Entity Type	
Select if you are reserving the name j	for a Company to be incorporated.
CIN	
Enter CIN only if you are applying for	change of name for an existing company.
Proposed Name 1	
Enter your proposed name.	
Proposed Name 2	
Enter your proposed name.	
Auto Check	
Comments	
Please make sure to mention the ob- comments. Please attach Sectoral R below, if applicable.	jects of the proposed company and any other relevant egulator approvals, NOCs or any other required documents
Choose File No file chosen	
Once you have submitted the name of feasible, approved by the Central Res	reservation request it will then be checked and, if found gistration Centre (CRC). You will receive an email from the ne reservation request.

Submit

[F. No. 1/13/2013 CL-V, part-I, Vol.II]

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 250(E) dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R.936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R.1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R. 955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018